# भारत में स्त्रियों की दशाः ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य में एक अनुशीलन

**जयप्रकाश मिश्र**

शोध छात्र, राजनीति विज्ञान

महारानी लक्ष्मीबाई कला एवं वाणिज्य महाविद्यालय, ग्वालियर (म.प्र.)

मो. नं.– 09453945180

भारत में नारियों की स्थिति को लेकर एक विरोधाभाष स्पष्ट रूप से दृष्टिगोचर होता है। एक तरफ स्त्रियों को दैवी शक्ति और पूज्या माना जाता है तो दूसरी तरफ वास्तविकता में उनका जीवन पीड़ा एवं वंचना का है। प्रस्तुत आलेख में इस विडंबना का अनुशीलन ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य में किया गया है। वास्तव में यह स्थिति समाज में चल रहे अंतरद्वंद्व को प्रदर्शित करता है, और नारी गरिमा के आदर्श को यथार्थ में बदलने का प्रयास निरंतर चल रहा है।

**''यत्र नार्यस्तु पूज्यते रमन्ते तत्र देवता''**

अर्थात् जहॉ नारी की पूजा होती है, वहॉ देवता निवास करते हैं। यहॉ नारी को देवी के रूप में देखा गया है। भारत में स्त्रियों की दशा सदैव एक जैसी नहीं रही है, अपितु समय एवं काल के साथ परिवर्तन आते गए।

एक ओर तो स्त्री की निंदा की गयी है दूसरी ओर नारी के देवी रूप को भी स्वीकार किया गया है। नारी को पाप एवं भोग की वस्तु समझा गया है। परम्परागत मानसिकता ने स्त्री को देवी और दानवी, दो छोरों में बॉट दिया। कहीं उसे दैवी गुणों से युक्त मानकर देवी के रूप में पूजा गया और कहीं राक्षसी गुण बतलाकर उसे दानवी कहकर भर्त्सना की गई, किन्तु वास्तविकता यह है कि न तो वह देवी है न दानवी। यह मानवी है। उसमें दया, माया, ममता तथा विश्वास है। वह क्रूर, कठोर, विश्वास घातिनी

भी है वह प्यार करना भी जानती है और घृणा भी, सुलह करना भी जानती है और कलह करना भी जानती है। वह मानव धर्मिणी मानव है।

''अगर नारी शब्द को देखा जाए तो इसका प्रयोग सर्वप्रथम ऋग्वेद में प्राप्त होता है। जिसका अर्थ है याज्ञिक पत्नी।''[1]

किसी भी सभ्य समाज अथवा संस्कृति की अवस्था का सही आंकलन उस समाज में स्त्रियों की स्थिति का आंकलन करके ज्ञात किया जा सकता है। विशेष रूप से पुरूष सत्तात्मक समाज में स्त्रियों की स्थिति सदैव एक सी नहीं रही। जब महिलाओं ने अपनी सामाजिक, पारिवारिक, आर्थिक, राजनीतिक भूमिका को लेकर सोचना विचारना आरंभ किया, वहीं से स्त्री आंदोलन, स्त्री विमर्श और स्त्री अस्मिता जैसे संदर्भों पर बहस शुरू हुई। नारीवाद की सर्वमान्य कोई परिभाषा देना मुश्किल काम है, यह सवाल है राजनीतिक, सामाजिक और सांस्कृतिक संस्थाओं के सोचने के तरीके और उन विचारों की अभिव्यक्ति का है।

भारतीय समाज में स्त्री की स्थिति अंतर्विरोधों से भरी हुई है। परंपरा में नारी को शक्ति का रूप माना गया है, पर आम बोलचाल में उसे अबला कहा जाता है। आज भी हमारे समाज में स्त्री के प्रति कमोबेश यही अंतर्विरोधी रवैया मौजूद है। जैसा कि निम्नलिखित पंक्तियों में भारतीय स्त्री की दशा को चित्रित किया गया है–

**अबला जीवन हाय तुम्हारी यही कहानी।**

**आंचल में है दूध और ऑखों में पानी।।**

**मुख्य शब्द–** पितृसत्तात्मक, पराधीनता, विकास एजेण्ट, स्वशासन।

**भारत में स्त्रियों की स्थिति–**

**प्राचीनकाल–** प्राचीनकाल में यदि वैश्विक संदर्भ को प्रस्तुत किया जाये तो पश्चिमी विश्व खासकर प्राचीन यूनानी और रोमन साम्राज्य में स्त्रियॉ पुरूष की सम्पत्ति समझी गयीं। जहॉ सुकरात ने स्त्री के प्यार को पुरूष की घृणा से अधिक भयावह माना, तो अरस्तू ने स्त्री की तुलना में पुरूष को श्रेष्ठ माना।''[2]

वहीं दूसरी तरफ भारतीय संदर्भ में महिलाओं की स्थिति शुभ और अशुभ, शिक्षित और अशिक्षित की रेखा पर आगे–पीछे खिसकती प्रतीत होती है। वैदिक काल में नारियों की स्थिति अपने प्रकर्ष पर थी। राजनीतिक रूप से सभा, समितियों, रिक्थ में महिलाओं की भागीदारी से यह स्पष्ट संकेत मिलता है कि वे राजनीतिक जीवन में अपनी उपस्थिति दर्ज कराती थी। उस समय स्त्रियों की स्थिति उनके आत्मविश्वास, शिक्षा, सम्पत्ति आदि के सम्बंध में पुरूषों के समान थी। अतः 'यत्र नार्यस्तु पूज्यते रमन्ते तत्र देवता' उक्ति वैदिक काल के लिये सत्य उक्त थी। जिसका उदाहरण घोषा, सिकता, गार्गी, लोपा, मुद्रा आदि विदुषियॉ थीं। वहीं उत्तर वैदिक काल में इनकी स्थितियों में पतन होना शुरू हो गया। और कन्याओं को डुबती हुई नौका और पाप का परिणाम माना जाने लगा। इस काल तथा महाकाव्य युग आते–आते पुत्र की कामना अत्यंत बलवती होने लगी। कन्यादान को गौदान से तुलनीय समझने वाले समाज में कन्या का जन्म (सुरक्षा की जिम्मेदारियॉ कन्या का दूसरे के घर चले जाने के कारण अर्थव्यवस्था, धन और पिण्डदान में पुत्र की आवश्यकता के कारण) घर में गाय आने से कम प्रसन्नता का कारण होता था।''[3]

**मध्यकाल :–** समय के प्रवाह की अगली कड़ी में अर्थात् मध्यकाल में स्त्रियों की बहुपक्षीय दशाओं में पतन की बाढ़ सी आ गयी। मध्यकाल में विदेशियों के आगमन से स्त्रियों की स्थिति में जबरदस्त गिरावट आई। अशिक्षा और रूढ़ियॉ जकड़ती गयीं। घर की चाहरदीवारी में कैद होती गयी और नारी एक अबला रमणी और भोग्या बनकर रह गयी।

मध्यकाल में भारत विभिन्न विदेशी आक्रान्ताओं से पीड़ित रहा ओर एक लम्बे समय तक ऐसे कालखण्ड के अन्तर्गत शासित रहा जिसके धर्म में कभी पुर्नजागरण हुआ ही नहीं। अर्थात् मुगल शासन में कट्टरता एवं रूढ़ियों का एक संजाल सा विछा हुआ था। जिसमें सबला भारतीय नारी फंसकर अबला के रूप में तब्दील हो चुकी थी। जिसकी जिंदगी रसोई के धुँए में ही घुटकर पीड़ामय बन चुकी थी, परन्तु इसी काल में स्त्रियों को सामाजिक बन्धन तोड़ने के अवसर भी मिले। भक्ति आन्दोलन ने आंशिक रूप से स्त्री को घर से बाहर निकलने का मौका दिया फिर भी भक्ति कवियों की स्त्री के प्रति दृष्टि पारस्परिक ही रही। फिर भी इस काल में स्त्रियों के शासन तंत्र में भाग लेने के उदाहरण मिलते हैं। रजिया सुल्तान इस दिशा में महत्वपूर्ण नाम है। गौंडवाना की रानी दुर्गावती, अहमद नगर की चॉद बीबी, नूरजहॉ, महाराष्ट्र की ताराबाई इस काल में लीक से हटकर चलने वाले व्यक्तित्व हैं। जिन्होंने प्रशासन के क्षेत्र में अपने होने को प्रभावित किया।

राजघराने की सभी स्त्रियों के पास ऐसे अवसर नहीं थे। रानियॉ बहुपतित्व की शिकार व भोग–विलास का साधन थीं। वहीं स्त्री दूतियॉ, भाटों, चारणों तथा पेशेवर लोगों द्वारा फुसलाए जाने, बरगलाए जाने व प्रलोभनों द्वारा हस्तगत करने का माध्यम रही।

इस प्रकार मध्यकालीन स्त्री की दशा आंशिक रूप से गरिमामय जबकि बहुतायत मात्रा में क्षेत्रीय थी। मध्यकाल की विभिन्न शासिकाओं, भक्ति आन्दोलन के विभिन्न समाज सुधारकों के द्वारा इनकी स्थिति में सुधार करने का प्रयास किया गया जिससे ये समाज के योगदान में एक स्पष्ट भूमिका निभाते हुए स्वयं का और आने वाली पीढ़ी का सशक्तीकरण कर सके।

'इस संदर्भ में मध्यकाल के महाकवि गोस्वामी तुलसीदास की निम्नलिखित उक्ति, जो एक लोकोक्ति के रूप में व्याप्त है, को लेकर भ्रम का निवारण आवश्यक है।' रामचरित मानस की यह उक्ति है– ''ढोल गवॉर सूद पशु नारी। सकल ताड़ना के अधिकारी।'' वास्तव में यह उक्ति क्रमशः ''गगन समीर अनल जल धरनी'', पंच महाभूतों की उपमा के रूप में प्रयुक्त हुई हैं और वास्तव में यह पर्यावरणीय संतुलन एवं सामाजिक न्याय हेतु आह्वान है।''[4]

**आधुनिक काल–** उन्नीसवीं शताब्दी में स्त्री प्रश्न महत्वपूर्ण होकर सामने आए। स्त्री की स्थिति पुनः व्याख्यायित हुई। भारतीय मानस पर यूरोप के स्वतंत्रता, तार्किकता और मानवीयता के विचारों के सहवर्ती प्रभाव ने एक खुलापन प्रारम्भ किया एवं अन्य प्रश्नों के साथ स्त्री प्रश्नों को विचार के केन्द्र में रखा गया।

भारत में महिलाओं में बड़े पैमाने पर भिन्नताऍ होने के कारण उनके बारे में व्यापक तौर पर कोई अनुमान लगाना, निश्चित तौर पर कठिन कार्य है। उनका संबंध अलग–अलग वर्गों, जातियों, धर्मों, समुदायों से है। इसके बावजूद कहा जा सकता है कि ज्यादातर महिलाऍ पितृसत्तात्मक ढॉचों और विचारधाराओं के कारण तकलीफें उठाती है, उन्हें महिला–पुरूष असमानताओं और पराधीनता का सामना करना पड़ता है।**''[5]**

स्त्रियों की समस्याओं की जड़ में कुलीनवाद एवं यौन पावित्र्य महत्वपूर्ण कारक थे। इन्हीं कष्टों के संवेदन में विभिन्न समाज सुधारको जैसे राजाराममोहन राय, ईश्वर चन्द्र विद्यासागर एवं विवेकानन्द तथा महात्मागॉधी ने महिलाओं की दयनीय दशा को एक समग्र आवाज देकर काफी हद तक कम करने का प्रयास किया, इन प्रयासों में सती प्रथा,

बाल विवाह, विधवा विवाह आदि कुरूतियों को समाप्त करने का सफल प्रयास किया। भारत की औपनिवेशिक दासता ने भारतीय स्त्रियों की दयनीय दशा की आधारों पर, अपने औपनिवेशिक लाभ के लिये ही सही, पर कुठाराघात किया।

भारतीय स्वतंत्रता आन्दोलन के नायक महात्मा गॉधी ने भी महिलाओं की स्थिति पर चिंता व्यक्त की और उनके सकारात्मक उत्थान को बल प्रदान करने के लिये अपनी आवाज दी। इस सन्दर्भ में गॉधी जी का यह उदाहरण दृष्टव्य है– उन्हें अबला पुकारना महिलाओं की आन्तरिक शक्ति को दुत्कारना है। यदि हम इतिहास पर नजर डाले तो हमें उनकी वीरता की कई मिसाले मिलेंगी। यदि महिलाएं देश की गरिमा बढ़ाने का संकल्प कर लें तो कुछ ही महीनों में वह अपनी आध्यात्मिक अनुभूति के बल पर देश का रूप बदल सकती हैं।''[6]

आधुनिक युग में स्त्रियों की दयनीय स्थिति की तरफ साहित्यकारों ने भी अपना ध्यान दिया है और अपनी ज्ञान राशि के माध्यम से उनकी दशा सुधारने का प्रयास किया, साथ ही साथ स्त्रियों की महत्ता का बोध भी समाज को कराया। कवि जयशंकर प्रसाद ने लिखा है कि ''नारी तुम केवल श्रद्धा हो, विश्वास रजत नग, पग तल में। पियूष स्त्रोत सी बहा करो, जीवन के सुन्दर समतल में। साहित्यकारों ने स्त्री की ममता, वात्सल्य, राष्ट्र के निर्माण में योगदान देने वाले गुणों के महत्व को समाज को समझाया और उनकी महत्ता के प्रति जागरूक किया। उसी प्रकार महान भारतीय दार्शनिक स्वामी विवेकानन्द ने भी कहा है ''जब तक महिलाओं की स्थिति नहीं सुधरती है तब तक विश्व कल्याण की बात सोचना बेमानी होगी, क्योंकि किसी पक्षी के लिये केवल एक डैने से उड़ना संभव नहीं होता। लेकिन भारत के पुरूष प्रधान समाज में महिलाओं की स्थिति में बहुत ज्यादा बदलाव नहीं आये हैं। महिलाओं के साथ लैंगिक आधार पर किये जा रहे भेदभाव की वजह से आधी आबादी को उन अधिकारों से वंचित रहना पड़ता है, जिन्हें संविधान प्रदत्त प्रावधानों के अलावा समय–समय पर बनाये गये कानूनों एवं उनमें किये गये संशोधनों के जरिये उपलब्ध कराये गये हैं।

इस प्रकार विभिन्न कालखण्डों में महिलाओं की स्थिति ने विविध रूप धारण किये जहॉ शुरूआत ज्ञान के प्रवर्तन से हुई वहीं आगे का समय लगातार उन्हें चहारदीवारी में कैद करने की तरफ उन्मुख रहा है परन्तु आधुनिक एवं उत्तर आधुनिक समय मे स्त्रियॉ विकास के एक अभिकर्ता के रूप में समाज में कंधा से कंधा मिलाकर चल रही हैं।

**महिलाओं से सम्बंधित संवैधानिक प्रावधान–** महिलाओं की स्थिति पर स्वतंत्रता आंदोलन ने जो एक सशक्त आवाज दी वहीं स्वतंत्र्योत्तर काल में विभिन्न विधिक एवं संवैधानिक प्रावधानों को मूर्त रूप प्रदान किया।

महिलाओं की स्थिति में सुधार के समय पर अनेक प्रयास किसी न किसी रूप में होते रहे हैं। जिसमें प्रत्येक कालखण्ड के समाज सुधारकों, आन्दोलनकर्ताओं, बौद्धिकजनों, कवियों एवं साहित्यकारों आदि द्वारा अपना प्रेरक योगदान दिया गया। परन्तु वर्तमान संवैधानिक प्रावधान भारतीय स्त्रियों को एक कानूनी अधिकार के रूप में आधार प्रदान करते हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14, 15, 16, 19, 21, 23, 24, 37, 39(बी), 44 तथा अनुच्छेद 325, स्त्री को भी पुरूषों के समान अधिकारों की पुष्टि करते हैं।''[7] इसी क्रम में आगे बढ़ते हुये भारत सरकार ने स्वयं पहल कर महिलाओं के विधिक सामाजिक अधिकारों को शोषण से बचाव के विभिन्न कानूनी प्रावधान किये हैं, जैसे– घरेलू हिंसा (प्रतिशोध) अधिनियम 2005; दहेज निवारक कानून 1996; स्वव्यवसाय का अधिकार (अनुच्छेद 16 को प्रदान करने के लिये); प्राण व दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार (अनु. 21, 22); कार्य स्थलों पर सुरक्षा सम्बन्धी कानून (खासकर विशाखा गाइडलाइन)।''[8]

भारतीय संविधान के अनुसार स्त्रियों को पुरूषों के समक्ष अधिकार प्राप्त हुये परिणामतः जल, थल व वायु कोई भी क्षेत्र स्त्री से अछूता नहीं रहा। महिलओं के सशक्तिकरण की ओर एक सशक्त कदम बढ़ाते हुये स्थानीय, स्वशासन में 73, एवं 74 संविधान संशोधन के माध्यम से भारत सरकार ने संवैधानिक प्रावधानों को पुष्ट किया जिससे वे तृण मूलक आधार से प्रकर्ष तक अपनी विकास वाहक (एजेण्ट) के रूप में अपनी उपस्थिति सुदृढ़ता के साथ दर्ज करा रही है।

**निष्कर्ष–**

प्राचीन भारतीय समाज में जिस घोषा, सिकता, गार्गी एवं लोपामुद्रा के ज्ञान पुंज से विभिन्न वेद आलोकित हो रहे थे, वहीं भारतीय समाज पराभव में ऐसा समाया कि आज हम स्त्रियों की स्थिति को सुधारने में दशकों से लगे हैं। प्राचीनकाल, मध्यकाल, आधुनिक काल ने स्त्रियों की दशा एवं दिशा को एक खण्डित विमर्श के रूप में प्रस्तुत किया है। जिसमें एक ही दौर में कहीं स्त्रियॉ शासिका तो कहीं सेविका के रूप में समाज का एक अंग बनी थी। इन्हीं नकारात्मक सिद्धानतों एवं व्यवहारों में स्त्रियों को चौके चूल्हे की

चहरदीवारी में बंद कर एक हरम व्यवस्था के रूप में अपना जीवन एक भोग्या के रूप में भोगने को मजबूर किया। इसलिए यह स्पष्ट है कि स्त्री होना अपराध नहीं है अपितु आसुओं भरी नियति युक्त स्त्री को स्वीकार करना अपराध है। स्त्री के जीवन का ऐसा कोई कोना नहीं है। जहॉ उनकी गरिमा एवं उनके अस्तित्व को इस पितृसत्तात्मक समाज द्वारा पद दलित करने का प्रयास न किया गया हो। अतः स्त्री पैदा नहीं होती अपितु बना दी जाती है सत्य प्रतीत होता है। इस प्रकार यह कहा जा सकता है कि विभिन्न कालखण्डों में इनके जीवन का स्तर अच्छी और बुरी दशा के तराजू पर ऊपर नीचे होती रही है।

## संदर्भ


1– ऋग्वेद– 7.7.3.

2– रेखा कस्तवार, *स्त्री चिन्तन की चुनौतियॉ* (नई दिल्ली : राजकमल प्रकाशन, 2016), पृ.52.

3– वही, पृ.54.

4– विस्तृत व्याख्या के लिये देखिये– नीरज कुमार झा, ''ढोल गवॉर सूद्र पशु नारीः रामचरितमानस के समुद्र प्रसंग का वृहत्तर संदर्भ और सरोकार'', *रचना*, अंक–110, सितम्बर–अक्टूबर, 2014, पृ.31–41.

5– कमला भसीन, ''भारतीय संदर्भ में नारी सशक्तीकरण'', *योजना*, वर्ष 60, अंक 9, सितंबर, 2016, पृ.9.

6– सुभाष सेतिया, ''गॉधी जी का स्त्री विमर्श'' योजना, वष्र 58, अंक 3, मार्च 2014, पृ.26.

7– भारतीय संविधान, अनु. 14, 15, 16, 19, 21, 23, 39.

8– सुरेश कुमार तिवारी, ''महिलाओं के विधिक सामाजिक अधिकार : वर्तमान परिदृश्य'' योजना, वर्ष 60, अंक 9, सितम्बर, 2016, पृ.51, 52.



**Contributors Details**:

**जयप्रकाश मिश्र**

शोध छात्र, राजनीति विज्ञान

महारानी लक्ष्मीबाई कला एवं वाणिज्य महाविद्यालय, ग्वालियर (म.प्र.)

मो. नं.– 09453945180